अश्लील पोस्टर

*१९४. श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के तथा गुप्त रोगों के चमत्कारिक इलाज के अश्लील पोस्टरों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पोस्टरों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है , और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†[OBSCENE POSTERS

*194. SHRI G. K. KAPOOR: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the display of obscene posters in Delhi, advertising Allopathic, Ayurvedic and Unani medicines and of magic remedies for venereal diseases;

(b) if so, whether any survey of such posters has been conducted; and

(c) if so, what action has been taken by Government in the matter?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI P. S. NASKAR): (a) to (c) The Delhi Administration at the instance of the Health Minister carried out in April, 1963 an intensive survey of advertisements through the Drug Control authorities. There were 61 cases of advertisements covered by the survey, which were examined in the context of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act. There were 9 advertisements relating to the venereal diseases appearing on signboards or notices displayed by practitioners at their premises, but as no drug was mentioned in the signboards or notices they did not come within the scope of Section 3 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act. The majority of the advertisements relating to the treatment of venereal diseases are reported to have been published by practitioners of the Ayurvedic or Unani system of medicine. Certain difficulties have been found in disproving claims made in respect of certain drugs under Section 4 of the Act, in view of the claims resting upon Ayurvedic and Unani treatises. The matter, however, will be studied further in consultation with the Ministry of Law with a view to preventing evasion. The Drug Control staff have instructions to be on the look out for advertisements contravening the provisions of the Act and to take action against offenders.

†[स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० एस० नस्कर) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने अप्रैल, १९६३ में स्वास्थ्य मंत्रालय के कहने पर औषध नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से विज्ञापनों का एक गहन सर्वेक्षण किया । इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत विज्ञापनों के ६१ मामले लिये गए जिनका औषध एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के प्रकरण में जांच की गई । इन में से गुप्त रोगों के बारे में ६ विज्ञापन थे जो चिकित्सकों ने अपने अपने अहातों के सामने साईन-बोर्डों अथवा सूचनाओं के रूप में लगाये हुए थे । परन्तु इन साइन-बोर्डों या सूचनाओं में किसी औषध का उल्लेख न होने के कारण, ये औषध एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत नहीं आए । गुप्त रोगों के उपचार के बारे में

†[ ] English translation.

†[ ] Hindi translation.

अधिकतर विज्ञापन आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा किये गये बताये गये हैं । आयुर्वेदिक तथा यूनानी ग्रन्थों पर आधारित होने के कारण कतिपय औषधियों के बारे में जो दावे किये गये । उनको इस अधिनियम की धारा ४ के अधीन अप्रमाणित घोषित करने में कुछ कठिनाइयां पाई गई । तथापि इस प्रकार की वंचना की रोकथाम के विचार से विधि मंत्रालय से परामर्श करके इस विषय का और आगे अध्ययन किया जायेगा। औषध नियंत्रण कर्मचारियों को अनुदेश है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों की ताक में रहें और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करें ।]

श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ में जो केसेज पकड़े गये थे, उनमें से कितनों के ऊपर कार्यवाही की गई और कितनी ऐसी दवायें थी, जो जनता के लिए हितकर नहीं थीं, बन्द करवा दी गई ?

SHRI P. S. NASKAR. I have not got the figures for 1963 but I have figures for 1960, 1961 and 1962. There were ten cases filed in 1960 and the number of convictions was ten. In 1961 against seven cases filed there were five convictions and two cases are pending in the courts. In 1962 three cases were filed and all the three cases are still pending in courts of law.

श्री गिरिराज किशोर कपूर : मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात की भी कोई इंक्वायरी की गई है कि सन् १९६४ में यह चीज बढ़ रही है या घट रही है ?

डा० सुशीला नायर : हमारे पास ऐसी कोई इन्फारमेशन नहीं है और न ऐसी कोई शिकायत ही मिली है कि यह बढ़ गई है ।

श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ऐसे अस्पताल भी हैं, जिनके विज्ञापन इस तरह के हो रहे हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि एक साल में हजारों बांझ औरतों के बच्चे हो गये और हजारों ऐसे आदमी जिनकी उम्र ६० या ७० वर्ष की हो गई है फिर से नौजवान हो गये हैं । इस तरह की बातें डाक्टरों के नाम पर हो रही है, तो क्या सरकार की ओर से इस तरह की बातों को रोकने की कोशिश की गई है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, इस तरह के जहां भी विज्ञापन होते हैं—जैसा कि अभी उपमंत्री जी ने बतलाया, कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों की तरफ से होते है और जहां पर इस तरह के विज्ञापनों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती थी वह की गई है । हम इस बारे में और परीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सकता है ।

SHRI LOKANATH MISRA: One point has not been replied to by the Minister; about the obscenity of these advertisements, am I to understand that even to deal with obscenity the Law Ministry has to be consulted or is there any other law that could deal with obscenity outright?

DR. SUSHILA NAYAR: To decide what obscenity can be dealt with under the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, we have to consult the Law Ministry.

MR. CHAIRMAN: Scientific language.

CULTIVATION UNDER D.V.C. SCHEME

*195. SHRI P. THANULINGAM: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) how many acres of land was estimated to come under cultivation under the D. V. C. Scheme; and